

EASTERN RAILWAY

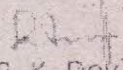
No. E/Elect./G/Deputation.

Dated, Kolkata the 28.10.2011

ALL CONCERNED

Sub: Providing Manpower to CORE for meeting electrification targets.
Reiteration of instructions regarding.

The following copy of Rly. Bd.'s letter no. F(NG)-2007/PM1/9 dated 11.10.2011 (RBE No. 142/2011) is forwarded for information, guidance and necessary action.


(P. K. Dey)

By Chief Personnel Officer/Elect.
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter no. F(NG)-2007/PM1/9 dated 11.10.2011 (RBE No. 142/2011) address to all General Managers(P).

Sub: Providing Manpower to CORE for meeting electrification targets.
Reiteration of instructions regarding.

In spite of clear cut instructions to Zonal Railways, as contained in Board's letter of even number dated 08.05.2008 to account for staff requirement of CORE and lend all necessary assistance by sparing required staff as and when demanded by CORE, it has been brought to the notice of Board in a progress review meeting with Railway Electrification Works that Zonal Railways are not taking into account the staff requirement of CORE while holding selection/suitability tests and are considering the same only for placing indents on RRBs, leading to requirement of CORE not materializing in case of receipt of short panel from RRB.

2. The issue has been given due consideration and it is advised that henceforth the Zonal Railways may take the following points into consideration, besides the instructions dated 08.05.2008 on the above subject:

- CPM/RE will submit the requirement of Supervisors & other Group 'C' category staff, Division wise of all departments to DRM/F. After finalization of panel, suitable candidates to be posted to CPM/RE.
- CPM/RE will advise the Division at least one year before the expiry of the sanction of the work charged post, so that the staff working against work charge posts are adjusted against their own cadre.
- Requirement of staff will be specifically indicated by CPM/RE about the department (such as T&D, General Service, Operating, P. Way, Engineering, Works) to which it will be added.

Please acknowledge receipt.

Hindi version follows.

Sd/

(Kajal Mukherjee)

By Director Estt.(NGI),
Railway Board

INDEX NO. 1025: The vacancy of RE organization may have to be taken in the selection/suitability test conducted for open line as per AVC.

पूर्व रेलवे

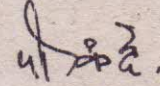
सं. ई/इलेक्ट./जी/डेपुटेशन

कोलकाता, दिनांक 28.10.11

सर्व संबंधित

विषय: विद्युतीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद (कोर) को जनशक्ति प्रदान करना - अनुदेशों की पुनरावृत्ति करने के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (एन जी)1-2007/पी एम 1/9 दिनांक 11.10.2011 (आर बी ई सं. 142.2011) की निम्नलिखित प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अगसारित की जाती है।



(पी. के. दे)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/बिजली
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी महाप्रबंधक (कार्मिक) को सम्बोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (एन जी)1-2007/पी एम 1/9 दिनांक 11.10.2011 (आर बी ई सं. 142/2011) की प्रतिलिपि।

विषय: विद्युतीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद (कोर) को जनशक्ति प्रदान करना - अनुदेशों की पुनरावृत्ति करने के संबंध में।

कोर के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का लेखा-जोखा रखने और कोर द्वारा मांग किए जाने पर अपेक्षित कर्मचारियों को स्पेयर करके सभी जरूरी सहायता प्रदान करने के संबंध में बोर्ड के दिनांक 08.05.2008 के समसंख्यक पत्र में क्षेत्रीय रेलों के लिए स्पष्ट अनुदेश होने के बावजूद रेल विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान बोर्ड के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि क्षेत्रीय रेलों द्वारा चयन/उपयुक्तता परीक्षाएं आयोजित करते समय कोर में कर्मचारियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और वे केवल रेलवे भर्ती बोर्डों को इंडेंट प्रस्तुत करने का ही ध्यान रख रही हैं। परिणामस्वरूप रेलवे भर्ती बोर्ड से कम पैनाल प्राप्त होने के कारण कोर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं।

2. इस मामले पर यथोचित धन दिया गया है और सलाह दी जाती है कि क्षेत्रीय रेलें अब से दिनांक 08.05.2008 के पत्र में उपर्युक्त विषय पर दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दों पर भी ध्यान देंगी।

- (क) सीपीएम/आरई द्वारा डीआरएम/पी को सुपरवाइजरों एवं ग्रुप 'सी' कोटि के कर्मचारियों की सभी विभागों की मंडलवार आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाएगा। पैनाल को अंतिम रूप देने के बाद उपयुक्त उम्मीदवारों को सीपीएम/आरई के पास तैनात किया जाएगा।
- (ख) सीपीएम/आरई कार्य प्रभारित पद की स्वीकृति समाप्त होने से कम से कम एक वर्ष पहले मंडल को सूचित करेंगे ताकि कार्य प्रभारित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने संवर्ग में समायोजित किया जा सके।
- (ग) सीपीएम/आरई द्वारा जिस विभाग (जैसे कि टीआरडी, सामान्य सेवाएं, परिचालनिक, रेलपथ इंजीनियर, निर्माण) में कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। उस विभाग के बारे में कर्मचारियों की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा।

सूचकांक : 1025-रेल विद्युतीकरण संगठन की रिक्ति एबीसी के अनुसार ओपन लाइन हेतु आयोजित चयन/उपयुक्तता परीक्षा में लिया जा सकता है।

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई. संख्या 119/2011

नई दिल्ली, तारीख 5.9.2011

अधिसूचना

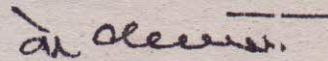
सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 2011 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6 में खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् -
" (vi) शारित के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवधति, जो रेल सेवक की ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा जिससे वह पदावनत हुआ था, में प्रोन्नति के लिए एक प्रतिबंधन कर्जन के रूप में होगी, इस निदेश के साथ कि उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर पदोन्नति पर क्या -

(क) समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवधति की अवधि, रेल सेवक की भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू होगी और यदि ऐसा है, तो किस सीमा तक ; और

(ख) रेल सेवक, उच्चतर समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अपनी मूल ज्योत्तता पुनः प्राप्त करेगा ;"

[फाइल सं. ई(डी एंड ए)2008 आरजी 6-11]



(के.कृष्णन)

निदेशक, स्थापना (अनु. एवं.अपील)
रेलवे बोर्ड